

न्यायालय : सिविल न्यायाधीश, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- हनुमान सहाय मीणा, (आर.जे.एस.)
दीवानी वाद संख्या :- 14 / 2024

विमल बैरवा पुत्र रामगोपाल बैरवा उम्र 42 साल निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील
इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

---वादी

बनाम

रामगोपाल बैरवा पुत्र भवाना बैरवा उम्र 72 साल निवासी प्रताप सर्किल ग्राम
सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

---प्रतिवादी

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:

श्री दिनेश कुमार शर्मा : विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री बालकिशन रायका : विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 06.04.2026

01. वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादी का एक भूखण्ड 20 गुणा 50 वर्ग फीट योग 1000 वर्गफीट का कमलेश्वर कुज, ग्राम सुमेरगंजमंडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित हैं। जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार से है कि पूरब दिशा मे शीला देवी का मकान पश्चिम दिशा मे स्वयं का भूखण्ड उत्तर दिशा में आम रास्ता 25 फीट दक्षिण दिशा में रामकुंआर सैनी का मकान स्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूखण्ड वादी ने अपनी स्वयं की आय से संजूलता पत्नि श्री प्रमोद कुमार सुवालका जाति कलाल निवासी सुमेरगंजमंडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान के रहने वाले से दिनांक 18.12.2015 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया था। वादी ने उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री अपने पिता प्रतिवादी के नाम कराई थी। उक्त भूखण्ड के पास ही वादी का अन्य खरीदशुदा भूखण्ड है उसके पश्चात वादी का दो मंजिला मकान स्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित

भूखण्ड वादी के अन्य भूखण्ड के पास होने से वादी ने दोनों भूखण्ड की सुरक्षा हेतु चार दिवारी करवा कर लोहे का गेट लगा रखा और ट्यूबवेल लगा रखी है दोनों भूखण्डों के मध्य दीवार भी बना रखी है जिसमें भविष्य में निर्माण या विक्रय करने में परेशानी नहीं हो। प्रतिवादी वादी के पिता है परन्तु वर्तमान में पारिवारिक विवाद होने से प्रतिवादी अपने नाम का फायदा उठाकर वादी के खरीदशुदा भूखण्ड को खुर्द बुर्द करने की धमकी देने लगा है और वादी को भूखण्ड के उपयोग उपभोग से रोकने लगा है जिसका प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी ने वादी को अपने मकान के उपयोग उपभोग से रोकने के लिये भी एक सिविल वाद न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश इन्द्रगढ मे उनवान रामगोपाल बनाम विमल बैरवा के नाम से मि०स०बे 2/24 कर रखा है और प्रतिवादी ने वादी को परेशान करने के लिये निर्वाह भत्ता का प्रा० पत्र न्यायालय उपखंड अधिकारी साहब लाखेरी के यहां भी पेश कर रखा है और वादी की पत्नि के नाम द्वेषतावश धारा 3 का मुकद्मा संख्या 97 सन् 2024 दिनांक 08.06.2024 पुलिस थाना इन्द्रगढ मे दर्ज है। दिनांक 14.07.2024 को वादी अपने भूखण्ड पर गया तो प्रतिवादी ने वादी को गालिया दी मारपीट करने की धमकी दी और भूखण्ड को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी है, यही वाद का कारण है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाकर वादपत्र की चरण स० 1 में वर्णित भूखण्ड के उपयोग-उपभोग में प्रतिवादी दखल नहीं देवे उक्त भूखण्ड को रहन, बय नहीं करे, ऐसा ना स्वयं करे ना ही अपने किसी ऐजेन्ट या प्रतिनिधी से करवाये।

02. प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा/प्रतिवाद पत्र के समर्थन में वादपत्र में वर्णित सभी मदों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्य में वादी के द्वारा बताया हुआ भूखण्ड 20 गुणा 50 वर्ग फिट कुल योग 1000 वर्गफीट वाके ग्राम कमलेश्वर कुंज ग्राम सुमरेगंजमण्डी वादी का नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे व मालिकाना हक अधिकार का है, जिस पर वादी को कोई स्वामित्व व हक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया है जो स्वामित्व व टाईटल के अभाव में खारिज होने योग्य है। वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य कपोल कल्पित उल्लेखित होने से स्वीकार नहीं है अस्वीकार है। वास्तविकता में वादी ने स्वयं की आय से कोई भूखण्ड संजुलता से नहीं खरीदा है, बल्कि प्रतिवादी रामगोपाल बैरवा पुत्र भवाना जाति बैरवा ने

दिनांक 18.12.2015 को जर्ज विक्रय पत्र क्रेता संजुलता को रूबरू गवाहन के 2,00,000 रु प्रतिफल देकर स्वयं के लिए खरीद किया है जिस पर विक्रय पत्र के बाद से प्रतिवादी रामगोपाल का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी रामगोपाल ने अपने भूखण्ड के चारों तरफ बाउण्ड्री करवा रखी है एवं मुख्य गेट पर लोहे की फाटक लगा रखी है एवं ट्युबेल रखा ही है, वादी ने सिर्फ प्रतिवादी रामगोपाल बैरवा को तंग व परेशान करने के लिए बेबुनयादी वादपत्र प्रस्तुत किया है जो मेन्टेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है। पूर्व में भूखण्ड संख्या 33 के भूखण्ड का पंजीयन प्रतिवादी रामगोपाल बैरवा ने वादी के पक्ष में करवा दिया था जिसको वादी ने अपनी सहमति से प्लॉट संख्या 33 पर बने हुये दो मंजिला मकान को प्रतिवादी रामगोपाल को दानपत्र व मुख्तारनामा दिनांक 14.12.2012 को रूबरू गवाहन निष्पादित किया जाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया था उसके बाद वादी के द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 33 पर बने हुये मकान से प्रतिवादी व उनकी वृद्ध पत्नि गीताबाई व पुत्री मनीषा व छोटे पुत्र महेन्द्र को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने के लिए आमादा होने पर प्रतिवादी रामगोपाल ने वादी के विरुद्ध आदरणीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें ताफेसला मूल वाद वादी विमल बैरवा व उसकी पत्नि मयुरी ने प्रतिवादी एवं उनकी परिवार को जबरन बेदखल करने एवं रहन, बय, दान करने से पाबन्द किया हुआ है। उक्त स्थगन आदेश की खिज निकालने के लिए वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध उक्त झूठे तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। वादी का वाद विषयक भूखण्ड पर कोई कब्जा व स्वामित्व मालिका हक व अधिकार कभी नहीं रहा है। इसलिए वादी का वादपत्र मय खर्चे के खारिज होने योग्य है। वादी ने बेबुनयादी तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। वादी का वाद विषयक भूखण्ड पर मौके पर भौतिक रूप से कब्जा व स्वत्व नहीं है, वादी कब्जे व स्वत्व के अभाव में प्रतिवादी के विरुद्ध कानूनी रूप से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाबदावा स्वीकार फरमाकर वादी का वादपत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

03. वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक कायम किए गए :-

01— आया वादी ने वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूखण्ड दिनांक 18.12.2015 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदकर अपने पिता प्रतिवादी के नाम से रजिस्ट्री करवायी थी?

—जिम्मे वादी

02— आया प्रतिवादी, वादी के उक्त भूखण्ड के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहा है?

—जिम्मे वादी

03— आया प्रतिवादी उक्त भूखण्ड को खुर्द-बुर्द करने पर आमदा है?

— जिम्मे वादी

04— आया वादी का वाद, वाद कारण के अभाव में खारिज होने योग्य है?

—जिम्मे प्रतिवादी

05— आया वादी का वाद घोषणा के दावे के अभाव में खारिज होने योग्य है?

—जिम्मे प्रतिवादी

06— आया वादी का वाद अन्दर मियाद पेश नहीं होने से खारिज होने योग्य है?

—जिम्मे प्रतिवादी

07— आया वादी का उक्त भूखण्ड पर भौतिक रूप से कब्जा व स्वत्व नहीं होने से खारिज होने योग्य है?

—जिम्मे प्रतिवादी

08— आया वादी, प्रतिवादी को उक्त भूखण्ड को रहन, बय, खुर्द-बुर्द नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने का अधिकारी है?

—जिम्मे वादी

09— अनुतोष?

04. साक्ष्य वादी में वादी ने स्वयं को गवाह पी.ड.01 व अन्य गवाह पी.ड.02 मयूरी, पी.ड.03 ललिता के बयान लेखबद्ध करवाए गए व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श.01

विक्रय पत्र दिनांक 18.12.2015 को प्रदर्शित करवाया है एवं साक्ष्य प्रतिवादी में डी.ड. 01 के रूप में रामगोपाल को परीक्षित कराया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में किसी प्रकार के दस्तावेज को पेश करके प्रदर्शित नहीं करवाया है। पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

05. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। संबंधित विधिक व न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

06. न्यायालय द्वारा विरचित किए गए विवाद्यकों का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जा रहा है :-

विवाद्यक संख्या-01

07. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर था। जिसमें वादी को यह साबित करना था कि क्या वादी ने वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूखण्ड दिनांक 18.12.2025 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदकर अपने पिता प्रतिवादी के नाम से रजिस्ट्री करवायी थी। इस संबंध में वादी ने अपने वादपत्र में कथन किया है कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूखण्ड वादी ने अपनी स्वयं की आय से संजूलता पत्नि श्री प्रमोद कुमार सुवालका जाति कलाल निवासी सुमेरगंजमंडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान के रहने वाले से दिनांक 18.12.2015 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया था। वादी ने उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री अपने पिता प्रतिवादी के नाम कराई थी। उक्त भूखण्ड के पास ही वादी का अन्य खरीदशुदा भूखण्ड है उसके पश्चात वादी का दो मंजिला मकान स्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूखण्ड वादी के अन्य भूखण्ड के पास होने से वादी ने दोनों भूखण्ड की सुरक्षा हेतु चार दिवारी करवा कर लोहे का गेट लगा रखा और ट्यूबवेल लगा रखी है दोनों भूखण्डों के मध्य दीवार भी बना रखी है जिसमें भविष्य में निर्माण या विक्रय करने में परेशानी नहीं हो। प्रतिवादी वादी के पिता है परन्तु वर्तमान में पारिवारिक विवाद होने से प्रतिवादी अपने नाम का फायदा उठाकर वादी के खरीदशुदा भूखण्ड को खुर्द बुर्द करने की धमकी देने लगा है और वादी को भूखण्ड के उपयोग उपभोग से रोकने लगा है जिसका प्रतिवादी को कोई अधिकार

नहीं हैं। प्रतिवादी ने वादी को अपने मकान के उपयोग उपभोग से रोकने के लिये भी एक सिविल वाद न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश इन्द्रगढ में उनवान रामगोपाल बनाम विमल बैरवा के नाम से मि०स०बे 2/24 कर रखा है और प्रतिवादी ने वादी को परेशान करने के लिये निर्वाह भत्ता का प्रा० पत्र न्यायालय उपखंड अधिकारी साहब लाखेरी के यहां भी पेश कर रखा है और वादी की पत्नि के नाम द्वेषतावश धारा 3 का मुकद्मा संख्या 97 सन् 2024 दिनांक 08.06.2024 पुलिस थाना इन्द्रगढ में दर्ज है। दिनांक 14.07.2024 को वादी अपने भूखण्ड पर गया तो प्रतिवादी ने वादी को गालिया दी मारपीट करने की धमकी दी और भूखण्ड को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी है, यही वाद का कारण है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर से जवाब दावे में कथन किया गया है कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्य में वादी के द्वारा बताया हुआ भूखण्ड 20 गुणा 50 वर्ग फिट कुल योग 1000 वर्गफीट वाके ग्राम कमलेश्वर कुंज ग्राम सुमरेगंजमण्डी वादी का नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे व मालिकाना हक अधिकार का है, जिस पर वादी को कोई स्वामित्व व हक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया है जो स्वामित्व व टाइटल के अभाव में खारिज होने योग्य है। वादी ने स्वयं की आय से कोई भूखण्ड संजुलता से नहीं खरीदा है, बल्कि प्रतिवादी रामगोपाल बैरवा पुत्र भवाना जाति बैरवा ने दिनांक 18.12.2015 को जर्गे विक्रय पत्र क्रेता संजुलता को रूबरू गवाहन के 2,00,000 रु प्रतिफल देकर स्वयं के लिए खरीद किया है जिस पर विक्रय पत्र के बाद से प्रतिवादी रामगोपाल का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी रामगोपाल ने अपने भूखण्ड के चारों तरफ बाउण्ड्री करवा रखी है एवं मुख्य गेट पर लोहे की फाटक लगा रखी है एवं ट्युबेल रखा ही है, वादी ने सिर्फ प्रतिवादी रामगोपाल बैरवा को तंग व परेशान करने के लिए बेबुनयादी वादपत्र प्रस्तुत किया है जो मेन्टेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है। वादी का वाद विषयक भूखण्ड पर कोई कब्जा व स्वामित्व मालिका हक व अधिकार कभी नहीं रहा है। इसलिए वादी का वादपत्र मय खर्चे के खारिज होने योग्य है। वादी ने बेबुनयादी तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। वादी का वाद विषयक भूखण्ड पर मौके पर भौतिक रूप से कब्जा व स्वत्व नहीं है, वादी कब्जे व स्वत्व के अभाव में प्रतिवादी के विरुद्ध कानूनी रूप से स्थायी

निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाबदावा स्वीकार फरमाकर वादी का वादपत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

08. चूंकि वादी के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 विवादग्रस्त मकान का रजिस्टर्ड स्वामी है लेकिन वादी की ओर से कथन किया गया है कि उसने खरीद के वक्त भुगतान किया था एवं प्रतिवादी के नाम से क़य किया था। लेकिन वादी की ओर से इस संबंध में किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है कि जिससे यह साबित होता हो कि उक्त भूखण्ड को बेचान करते वक्त भुगतान वादी द्वारा किया गया है व रजिस्ट्रेशन प्रतिवादी के नाम करवा दिया गया हो। ऐसे में उक्त विवाद्यक वादी के विरुद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या-02 व 03

09. उक्त दोनों विवाद्यको का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। उक्त दोनों विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर था। जिसमें वादी को यह साबित करना था कि क्या प्रतिवादी वादी के उक्त भूखण्ड के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहा है एवं प्रतिवादी उक्त भूखण्ड को खुर्द-बुर्द करने पर आमदा है। उक्त दोनों विवाद्यक पूर्णतया विवाद्यक संख्या 1 पर निर्भर करते हैं एवं विवाद्यक संख्या 1 में वादी उक्त भूखण्ड का रजिस्टर्ड स्वामी स्वयं को साबित करने में असफल रहा है व साथ ही विवाद्यको के संबंध में केवल मौखिक रूप से कथन किया है। कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं पेश की है। ऐसे में उक्त दोनों विवाद्यक वादी के विरुद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किए जाते हैं।

विवाद्यक संख्या-04

10. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। जिसमें प्रतिवादी को यह साबित करना था कि क्या वादी का वाद, वाद कारण के अभाव में खारिज होने योग्य है। इस संबंध में दस्तावेज प्रदर्श-01 का यदि अवलोकन किया जावे तो प्रदर्श-01 में भूखण्ड संजूलता के द्वारा रामगोपाल को बेचान किया गया है। जिसमें कब्जा व स्वामित्व रामगोपाल को अंतरित कर दिया गया है। ऐसे में उक्त दस्तावेज प्रदर्श-01 के अनुसार विवादग्रस्त भूखण्ड का कब्जा व स्वामित्व दोनों ही

प्रतिवादी के पास है। उसके बावजूद भी वादी की ओर से स्थायी निषेधाज्ञा का दावा स्वयं का कब्जा बताते हुए पेश किया गया है। ऐसे में न्यायालय के विनम्र मत में वादी को किसी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः उक्त विवाद्यक वादी के विरुद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है तथा वादी का वाद, वाद कारण के अभाव में खारिज होने योग्य है।

विवाद्यक संख्या-05

11. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। जिसमें प्रतिवादी को यह साबित करना था कि क्या वादी का वाद घोषणा के दावे के अभाव में खारिज होने योग्य है। चूंकि वादी के द्वारा अपने वादपत्र में यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी के नाम पर वादग्रस्त भूखण्ड है एवं वह प्रतिवादी को उसका रजिस्टर्ड स्वामी होना भी स्वीकार कर रहा है। वह केवल स्वयं द्वारा भुगतान करने का कथन कर रहा है। ऐसे में प्रकरण में Ownership (स्वामित्व) clouded नहीं है। ऐसे में न्यायालय के विनम्र मत में घोषणा का दावा किए जाने की आवश्यकता नहीं है एवं केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पोषणीय है।

विवाद्यक संख्या-06

12. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। जिसमें प्रतिवादी को यह साबित करना था कि क्या वादी का वाद अन्दर मियाद पेश नहीं होने से खारिज होने योग्य है। इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से केवल मात्र मौखिक रूप से कथन किया है, किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य को पेश नहीं की है। जिससे साबित हो सकता हो कि वादी का वाद अन्दर मियाद पेश नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। अतः उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या-07

13. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। जिसमें प्रतिवादी को यह साबित करना था कि क्या वादी का उक्त भूखण्ड पर भौतिक रूप से कब्जा व स्वत्व नहीं होने से खारिज होने योग्य है। चूंकि उक्त विवाद्यक पूर्णतया विवाद्यक संख्या 1 पर निर्भर करता है एवं वादी अपना कब्जा व स्वामित्व साबित

करने में असफल रहा है। अतः उक्त विवाद्यक प्रतिवादी के पक्ष में व वादी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या-08

14. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। जिसमें प्रतिवादी को यह साबित करना था कि क्या वादी प्रतिवादी को उक्त भूखण्ड को रहन, बय, खुर्द-बुर्द नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का अधिकारी है। चूंकि उक्त विवाद्यक पूर्णतया विवाद्यक संख्या 1 व 2 पर निर्भर करता है एवं उक्त विवाद्यको में वादी स्वयं का कब्जा उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड पर साबित करने में असफल रहा है। अतः उक्त विवाद्यक प्रतिवादी के पक्ष में व वादी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

अनुतोष

15. चूंकि उक्त विवाद्यकों में से वादी विवाद्यक संख्या 1, 2, 3 व 8 स्वयं के पक्ष में साबित करने में असफल रहा है अर्थात् वादी वादपत्र में वर्णित अनुतोष विरुद्ध प्रतिवादी न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

आदेश

16. अतः वादी विमल द्वारा प्रतिवादी रामगोपाल के विरुद्ध प्रस्तुत वादपत्र वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा का एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं का वहन करेंगे। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(हनुमान सहाय मीणा)
सिविल न्यायाधीश, इन्द्रगढ़

17. यह निर्णय आज दिनांक 06 अप्रैल, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीणा)
सिविल न्यायाधीश, इन्द्रगढ़